न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)
रावतभाटा राजस्थान साइट Rawatbhata Rajasthan Site
डाक: अणुशक्ति, वाया: कोटा (राज.) P.O.: Anushakti–323303 Via: Kota

EXPRESSION OF INTEREST

Empanelment of Advocates/Law Firms for handling litigations/court cases at various courts at Jodhpur, Jaipur, Udaipur, Kota, Chittorgarh and Rawatbhata.

NPCIL, a premier Central Public Sector Enterprise under Department of Atomic Energy, Government of India, having comprehensive capability of all facets of nuclear technology in India under one roof, Legal Section of Rawatbhata Rajasthan Site (RR Site) invites Expression of Interest (EOI) for empanelment of Advocates/Law Firms for handling litigations/court cases for and on behalf of NPCIL, RR Site at various courts at Jodhpur, Jaipur, Udaipur, Kota, Chittorgarh and Rawatbhata.

Interested Advocates/Law Firms, who are willing to provide their services to NPCIL, may download the application form within 30 days from the date of issue of this EOI from Website: http://npcil.nic.in/main/expression_of_interest.aspx

Duly filled in application form with supporting documents in sealed envelope superscripted with "Application for Empanelment of Advocates/Law Firms" must be submitted in the office of Deputy General Manager(Legal), NPCIL, RR Site Post: Anushakti, Via: Kota, Rajasthan, Pin- 323303 within 30 days from publication of this notice on any working day up to 1700 Hrs. Head (HR), RR Site reserves all rights to reject one or all the EOI without assigning any reason thereof.

Deputy General Manager(Legal), NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site

न्यूक्लियर पावर कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(**भारत सरकार का उद्यम** A Government of India Enterprise)
CIN : U40104MH1987GOI149458
रावतभाटा राजस्थान साइट Rawatbhata, Rajasthan Site
PO: Anushakti, via-Kota
Rawatbhata, Rajasthan-323303

No. NPCIL/RR Site/HR/Legal/EOI-01/2019/01 03rd June, 2019

एनपीसीआईएल, रावतभाटा राजस्थान साइट के लिए एवं की ओर से वाद-विवादों/न्यायालय प्रकरणों की देख-रेख हेतु अधिवक्ताओं/विधि फर्मों के एम्पेनल्मेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण सूचना|

Notice inviting Expression of Interest (EoI) for empanelment of Advocates/ Law Firms for handling the litigations/Court Cases for and on behalf of NPCIL, Rawatbhata, Rajasthan Site.

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड(एनपीसीआईएल) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है| एनपीसीआईएल कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रचालन एवं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने हेतु भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में निगमित किया गया था| देश के विभिन्न स्थानों पर हमारे बिजलीघर/परियोजनाएँ स्थित हैं तथा कोर्पोरेट कार्यालय मुंबई है|

Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) is a Public Sector Enterprise under the administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE), Govt. of India. NPCIL was incorporated as Public Limited Company under the Companies Act, 1956 with the objective of operating atomic power plants and carry out atomic power projects for generation of electricity, in pursuance of the schemes and programs of the Government of India under the Atomic Energy Act, 1962. We have our Power Stations/projects located at different parts of the country having its Corporate Office at Mumbai.

वर्तमान में हम, एनपीसीआईएल, रावतभाटा राजस्थान साइट के लिए एवं की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, न्याय क्षेत्र जोधपुर एवं जयपुर, केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा एवं जयपुर, श्रम न्यायालय भीलवाड़ा, रावतभाटा, बेंगू, चित्तौड़गढ़, व्यावसायिक न्यायालय उदयपुर,अजमेर एवं अन्य न्यायिक-अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों/राजस्थान में स्थित न्यायाधिकरण के समक्ष वाद-विवादों की देख-रेख हेतु अधिवक्ताओं/विधि फर्मों की तलाश में हैं| हमारे वाद-विवादों के क्षेत्र में सेवा मामले, श्रम मामले, रिट याचिकाएँ, पीआईएल, व्यावसायिक विवाद, माध्यस्थता कार्यवाही, कर बोर्ड/कर प्राधिकरण इत्यादि के समक्ष माध्यस्थता निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सम्मिलित हैं|

Presently, we are looking for Advocates / Law Firms for handling litigations for and on behalf of NPCIL, Rawatbhata, Rajasthan Site before the Hon'ble Rajasthan High

court judicature at Jodhpur and Jaipur, Central Government Industrial Tribunals, Kota and Jaipur, labour court Bhilwara, Rawatbhata, Bengu, Chittorgarh, Commercial Court Udaipur, Ajmer and other Judicial - Quasi Judicial Authorities/ Tribunals situated at Rajasthan. The area of our litigation inter-alia includes service matters, labour matters, Writ Petitions, PIL, commercial disputes, arbitration proceedings, appeals against arbitration awards and Tax matters before tax board / tax tribunal, etc.

इच्छुक अधिवक्ता/विधि फर्में संलग्न प्रोफोर्मा में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं| पात्रता का विवरण एवं एम्पेनल्मेंट हेतु अन्य शर्तें एवं निबंधन निम्न प्रकार है:

Interested Advocates / Law Firms may submit their applications in the attached proforma. The details for eligibility and other terms and conditions for empanelment are given below:

1. एम्पेनल्मेंट हेतु पात्रता Eligibility for Empanelment:

जिला न्यायालयों में AT DISTRICT COURTS

उक्त अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को माननीय जिला न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय/सीजीआईटी/सिविल कोर्ट/वाणिज्यिक प्राधिकरणों के समक्ष 15 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए| (बशर्ते कि कुछ मामले अन्यथा उपयुक्त पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी स्व-विवेक से उक्त शर्तों में छूट दे दे|)

The Advocates/ Law Firms are required to have a minimum of 15 years of professional experience before the Hon'ble District court/ Industrial Tribunal – Cum – Labour Court / Labour Court / CGIT/ Civil Court. / Commercial authorities (Provided that the Competent Authority may relax the above conditions at its discretion, if otherwise found suitability in certain cases)

राजस्थान उच्च न्यायालय में AT RAJASTHAN HIGH COURT

अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष न्यूनतम 10 वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए| (बशर्ते कि कुछ मामले अन्यथा उपयुक्त पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी स्व-विवेक से उक्त शर्तों में छूट दे दे|)

The Advocates/ Law Firms are required to have a minimum of 10 years of professional experience before the Hon'ble High court/CAT. (Provided that the Competent Authority may relax the above conditions at its discretion, if otherwise found suitability in certain cases).

एम्पेनल्मेंट पात्रता कि शर्तें Condition for eligibility for empllentment

(a) अधिवक्ता/विधि फर्में विभिन्न विधि शाखाओं विशेष रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में भर्ती/पदोन्नति, विभिन्न शीर्षों/श्रेणियों के तहत विभिन्न आरक्षण तथा सांविधिक कानून, श्रम कानून, औद्योगिक विवाद अधिनियम, प्रशासनिक विधि, सिविल विधि,

आपराधिक विधि, व्यावसायिक विधि, माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, कर मामले(व्यापार संबंधित) तथा अन्य कानूनों से परिचित होने चाहिए|

The Advocates/Law Firms should be familiar with various branches of Law especially those concerning recruitment/promotions in various categories in Government /Public Sector Organizations, various reservations under various heads/ categories and Constitutional Law, Labour Laws, Industrial Dispute Act, Administrative Law, Civil Laws, Criminal Laws, Commercial Law, Arbitration and Conciliation Act, Tax matters (trade related) , and other Laws.

(b) ई-कोर्ट साइट के माध्यम से पिछले पांच वर्षों के प्रकरणों की संख्या के आधार पर अधिवक्ता/विधि फर्मों की सक्षमता सत्यापित किया जाएगा| ऐसे प्रकरणों की संख्या उच्च न्यायालय में 200 से कम नहीं हो तथा जिला न्यायालय में 100 से कम नहीं हो| अधिवक्ता / विधि फर्म को अपने आवेदन के साथ ई –कोर्ट एवं उच्च न्यायालय की वेबसाइट या अन्य किसी स्रोत से उनके द्वारा की गयी पेरवी/ वर्तमान में लंबित मामलों का प्रिंटआउट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा|

The competency of the advocate /law firm will be verified through the e-court site of last five year. The number of cases must be not less than 200 at high court and 100 at district court. Advocate / law firm must submit the printout of the cases dealt/ presently pending cases by them from the e-court / high court website or any other sources along with their application.

(c) अधिवक्ता/विधि फर्में, का उसी शहर की सीमा में अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं समुचित इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के साथ पूर्ण व्यवस्थित कार्यालय होना चाहिए|

The Advocates /Law firms should have full-fledged office with requisite infrastructure and proper electronics communication facilities by all means in same city limits.

(d) अधिवक्ता/विधि फर्म उसी संबंधित कोर्ट के बार एसोसिएशन में नामांकित होने चाहिए, जिस उच्च न्यायालय/ न्यायालय के लिए वे आवेदन कर रहे हैं तथा उनके पास उसी कोर्ट के बार एसोसिएशन की सदस्यता होनी चाहिए, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं|

The advocate / law firm must have enrolled in same bar association in concerned court for which they are applying in the high court/ court and they must possess membership of the bar association in the same court for which they are applying.

(e) अधिवक्ता/विधि फर्म की उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए तथा आवश्यकता के आधार पर निर्दिष्ट वरि.अधिवक्ताओं/सोलिसिटर जनरल/अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल को नियुक्त करने में सक्षम होना चाहिए|

The Advocates/Law Firms should have excellent professional reputation and be able to engage designated Sr. Advocates / Solicitor General / Additional Solicitor Generals on need basis as per the requirement.

(f) अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्र/राज्य सरकार के विभागों के विधिक मामलों की देख-रेख का अनुभव होना चाहिए| एम्पेनल्मेंट के लिए, सामान्यतया उन अधिवक्ताओं पर विचार किया जाएगा, जो नियमित रूप से राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालयों तथा सीजीआईटी, जयपुर और अन्य संबंधित अदालतें में प्रेक्टिस कर रहे हैं, यदि उन्हें अन्य शर्तों के आधार पर सक्षम एवं उपयुक्त समझा जाए| तथापि, निगम को अधिकार है कि वह किसी एक या उक्त सभी शर्तों में स्व-विवेक से छूट दे सकता है|

The Advocates/ Law Firms should have the experience of handling legal matters of Public Sector Undertakings, Central/State Government Departments. For empanelment, generally those advocates, who are regularly practicing before the Honorable Rajasthan High Courts and CGIT, Jaipur and other respective courts, would be considered, if they are otherwise found to be competent and suitable. However, the Corporation reserves the right to relax, any or all of the above conditions at its discretion.

(g) जिन अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को यदि पूर्व में एनपीसीआईएल, आर आर साइट के साथ कोई कार्य का अनुभव है तो उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जायेगी यदि वे अन्य सभी शर्तों में अन्य की रूचि की अभिव्यक्ति के समकक्ष होते है|

If advocates / legal firms have previously had any work experience with NPCIL, RR site, they would be given preference in selection if they are equivalent to Expression of Interest of others who participated in all other conditions.

(h) अधिवक्ता/विधि फर्म को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पिछले 10 वर्ष में ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो तथा बार काउन्सिल द्वारा किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही में कभी भी दण्डित नहीं किया गया हो|

The Advocate / Law Firm should not be blacklisted in the last 10 years by Central / State Government / PSU and should never been penalized by any Bar Council in any Disciplinary proceedings.

(i) विधि फर्म / अधिवक्ता को उन्हें/ भी सौंपे गए प्रत्येक मामले की प्रगति के बारे में एनपीसीआईएल, आर आर साइट को मासिक आधार पर सम्बंधित विधि अधिकारी सूचित करना होगा|

The Law Firm/ Advocate shall keep the NPCIL, RR Site informed regarding the development of each of the matter to concerned Law Officer on monthly basis also.

(j) चयनित विधि फर्म / अधिवक्ता किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य सहयोगी/ फ्रेंचाइजी/ तीसरे पक्ष को काम आउटसोर्स नहीं करेंगे|

The selected law firm/ advocate will not outsource the work to any other associate/ franchisee/ third party under any circumstances.

2. कार्य क्षेत्र Scope of Work

अधिवक्ता/विधि फर्मो के नामित के लिए कार्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, परंतु इन तक ही सीमित नहीं हो :-

The Scope of work for the panel of advocate/law firms shall generally include but not limited to:-

I. संविदात्मक विवादों, सेवा मामलों, औद्योगिक विवादों तथा श्रम कानून, नाभिकीय कानून/विद्युत कानून इत्यादि मामलों पर राय (विभिन्न विधिक मामलों पर परामर्श) देना|
Rendering opinion (advice on various legal issues) on the matter recorded to contractual dispute service matter, Industrial Dispute and Labour Law, Nuclear Law /Electricity law etc.

II. विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों/फोरम्स/उच्च न्यायालय/ जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय, सीजीआईटी/ सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कर बोर्ड न्यायाधिकरणों, माध्यस्थता कार्यवाही इत्यादि हेतु प्रस्तुत विभिन्न विधिक दस्तावेजों/ अभिवचनों/ जवाबो की ड्राफ्टिंग तथा वेटिंग |
Drafting and vetting of various legal document/ pleading/ reply to be submitted before various judicial authorities/ forums/ High Court/ District Court/ Labour Court CGIT/CGIT cum Labour Court, Tax board tribunal Arbitration proceeding etc.

III. एनपीसीआईएल आर आर साइट द्वारा सौपें गए प्रकरण/मामले में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय, सीजीआईटी/ सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कर बोर्ड/कर न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत होना तथा एनपीसीआईएल, आर आर साइट के बेहतर हितों की रक्षा करना |
Appear and defend best intrest of the NPCIL, RR Site before the High Court, District Courts, CGIT, CGIT-cum-Labour Court, Tax Board/Tax Tribunal, Form, Statutory Authorities in the case/ matter assigned by the NPCIL RR Site.

IV. उक्त विस्तृत कार्यों/गतिविधियों के प्रासंगिक कोई भी मामला|
Any matter incidental to the above broader function/activities.

3. एम्पेनल्मेंट की अवधि Tenure/Term of Empanelment:

प्रारंभिक एम्पेनल्मेंट 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे निगम के निर्णयानुसार एम्पेनल्ड अधिवक्ताओं/विधि फर्मों के संतोषजनक कार्य निष्पादन एवं सहमति के आधार पर आगे बढ़ाया/नवीकृत किया जा सकेगा| प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर एवं इसके बाद प्रत्येक दो वर्षों में एम्पेनल्ड अधिवक्ताओं की परफोर्मेंस की समीक्षा की जाएगी| निगम किसी भी अधिवक्ता/विधि फर्म के एम्पेनल्मेंट को उक्त समीक्षा के उपरांत किसी भी समय रद्द करने का अधिकार रखता है तथा अधिवक्ता/विधि फर्म को बिना शर्त के अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा|

The initial empanelment shall be made for a period of 5 years, which can further be extended/renewed subject to satisfactory performance and consent of the empaneled Advocate /Firms as Corporation may decide. Performance of empaneled advocates shall be reviewed on completion of one year and thereafter every two year basis. Corporation reserves the right to terminate the empanelment of any Advocates/Law Firms on such review or at any time and Advocate/Law Firm has to provide no objection certificate unconditionally.

4. ईओआई में संशोधन Amendment to EOI

प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, एनपीसीआईएल, आर आर साइट किसी भी कारण से चाहे स्वयं द्वारा पहल करके अथवा संभावित आवेदनकर्ताओं के स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में ईओआई दस्तावेज को एक संशोधन द्वारा आशोधित कर सकता है| संभावित अभ्यर्थी संशोधन को ध्यान में रख कर अपने प्रस्ताव तैयार कर सके, इसके लिए उपयुक्त समय प्रदान किए जाने के लिए एनपीसीआईएल, आर आर साइट अपने विवेकाधिकार से प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार कर सकता है अथवा ईओआई में उल्लिखित आवश्यकता में अन्य परिवर्तन कर सकता है|

At any time, prior to the last date for receipt of proposal, NPCIL, RR Site may for any reason whether at its own initiative or in response to a clarification requested by prospective applicants, modify the EOI document by an amendment. In order to provide prospective applicants the reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their proposals, NPCIL, RR Site, may at its discretion extend the last date for receipt of proposals and or make other changes in the requirement set out in the EOI.

5. शुल्क का भुगतान तथा अन्य शर्तें Payment of Fee and other conditions:

a. **विधिक शुल्क दो चरणों में :** एम्पेनल किए गए एडवोकेट/विधि फर्म को सौपे गए प्रत्येक प्रकरण में प्रथम बिल उस प्रकरण में वकालतनामा/प्राधिकार/अधिकार भरे जाने के पश्चात भुगतान किया जाएगा तथा शेष भुगतान प्रकरण पर निर्णय हो जाने अर्थात राय सहित निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर किया जाएगा| शुल्क संरचना एम्पेनलमेंट की तिथि से वैध रहेगी तथा संविदा के चलन में रहने तक लागू रहेगी| वैध बिल प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भुगतान किया जाएगा| बिलों में से प्रचलित नियमों के अनुसार प्रयोज्य जीएसटी अथवा अन्य कोई कर की स्रोत पर ही कटौती की जाएगी|

   Legal fee in two stages: In each case assigned to Advocate/Law Firm so empanelled, First bill payment at the rate finalised as per contract shall be made after filing of Vakalatnama/ authorization /power in that case**,** and remaining payment after the case is decided i.e. on receipt of certified copy of the Judgment along with opinion. Fee structure shall remain valid from the date of empanelment and shall remain in force till currency of contract. Payment shall be released after submitting valid invoices. Applicable GST or any other applicable taxes will be deducted at source from the bills as per the preveling Law.

b. एम्पेनल्ड विधि फर्म/अधिवक्ता केवल प्रभावी सुनवाई की दशा में ही उपस्थित होने के लिए पूरे शुल्क का दावा कर सकेंगे| प्रभावी सुनवाई प्रभार उच्च न्यायालय के समक्ष केवल 10 संख्या (प्रथम उपस्थिति को छोड़कर) तक सीमित किए जाएँगे तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण(सीजीआईटी), कोटा, भीलवाड़ा, रावतभाटा, बेगूं, चित्तोड़गढ़, अजमेर तथा रावतभाटा स्थित अन्य न्यायिक-अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों/न्यायाधिकरणों के लिए प्रभावी सुनवाई प्रभार 20 संख्या तक सीमित रहेंगे| प्रभावेत्तर सुनवाई हेतु अधिवक्ता/विधि फर्म प्रभावी सुनवाई के शुल्क का 50% का दावा करने के लिए पात्र होंगे|

The empaneled Law Firms/Advocates may claim full fees for appearance only in case of effective hearing. The effective hearing charges will be restricted to 10 numbers (except First appearance) before the high court and for other than High Court before Central Government Industrial Tribunals (CGIT) , Kota , Bhilwara, Rawatbhata, Bengu, Chittorgarh, Ajmer and other Judicial - Quasi Judicial Authorities / Tribunals situated at Rajasthan effective hearing charges will be restricted to 20 No's . For non-effective hearing the Advocates/Law firms shall be entitled to claim 50% of the fees of the effective hearing.

i) 'प्रभावी सुनवाई' से तात्पर्य ऐसी सुनवाई, जिसमें किसी मामले में लिप्त एक अथवा दो अथवा सभी पार्टियों को न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से सुना जाता है, किसी भी पार्टी के वकील द्वारा बहस की जाती है, मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा की जाती है, विवाद्य/आरोप अधिरोपित किए जाते हैं तथा बयान अभिलेखित किए जाते हैं, आदेश पारित किए जाते हैं|

'Effective Hearing' shall mean a hearing in which either one or both or all the parties involved in a case are heard by the court fully / partly , arguments were advanced by the Counsel of any of the parties, Examination-in-chief, cross examination is conducted, issues/charges has been framed and statement recorded, Order passed.

ii) 'प्रभावेत्तर सुनवाई'' में वे सभी सुनवाई सम्मिलित हैं, जो कि प्रभावी सुनवाई की उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं है|

Non-effective Hearing' shall mean all hearings which are not covered in the above definition of effective hearing.

c. जिसमें दो या अधिक मामलों में पर्याप्त रूप से एक जैसे अथवा समान क़ानूनी प्रश्न अथवा तथ्य सम्मिलित हों, यदि ऐसे मामलो का माननीय संबंधित न्यायालय द्वारा बंच बनाया जाता है तो ऐसे मामलों में से एक को मुख्य मामले के रूप में माना जाएगा, तथा अन्य को समकक्ष/संबद्ध मामले माना जाएगा, अधिवक्ता/विधि फर्म को मुख्य मामले का पूरा शुल्क भुगतान किया जाएगा तथा समकक्ष अथवा समान संबद्ध मामलों के लिए मुख्य मामले का 50% शुल्क (वास्तविक टंकण, फोटो कॉपी, कोर्ट फ़ीस, मुन्शियाना प्रभार के सिवाय) भुगतान किया जाएगा|

Where two or more cases involving substantially identical or similar question of law or facts, one of such cases will be treated as leading case if bunch made by the Hon'ble concerned court and others as identical / connected cases, the advocate / Law firms shall be paid full fees for the main case and 50% of the

fee of main case for each of the identical or similar connected cases (except actual typing, photocopy, court fees, Clerkage expenses).

d. विविध व्यय यथा फाइलिंग प्रभार, टाईपिंग, फोटोकॉपी, कोर्ट शुल्क, दस्तावेजों के सत्यापन, नोटेरी, सत्यापन, न्यायालय से प्रमाणित प्रति तथा अन्य आनुषंगिक व्यय इत्यादि वास्तविक आधार पर भुगतान किए जाएँगे| यदि वास्तविक बिल संभव नहीं है तो स्व-सत्यापन की अनुमति होगी|
The miscellaneous expenses such as filing charges, typing, photocopy, court fees, attestation of documents, notary, verification, certified copy from the Court and other incidental expenses, etc. will be paid on actual basis. Self-certification shall be permissible where actual bills are not feasible.

e. मुन्शियाना शुल्क कुल शुल्क का अधिकतम 10 % तक होगा|
Clerkage will be maximum upto 10% of the total fees.

f. एम्पेनल्ड विधि फर्मों/अधिवक्ताओं को प्रोफेशनल फीस एवं अन्य खर्चों के लिए निर्धारित प्रारूप में अपने बिल अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे|
The empaneled Law Firms/ Advocates has to submit their bills saperately for professional fees and other expenses in prescribed format.

g. यदि वरिष्ठ कौन्सेल/एजी/एसजी/एएसजी को निगम की सहमति से आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श अथवा माननीय उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए नियुक्त किया जाता है तो शुल्क का भुगतान वरिष्ठ कौन्सेल/एजी/एसजी/एएसजी जैसी भी स्थिति हो, के बिल/मेमो प्रस्तुत किए जाने पर, निगम द्वारा वास्तविक आधार पर किया जाएगा|
If a Senior Counsel/AG/SG/ASG is engaged after the consent of the Corporation for conference or his appearance before the Hon'ble High Court/Tribunal as per the requirement, the fees shall be paid by the Corporation on actual basis on production of bill/memo of the Senior Counsel/AG/SG/ASG as the case may be.

h. एम्पेनल्ड अधिवक्ता/विधि फर्म निगम से किसी भी प्रकार के रिटेनरशिप शुल्क के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे|
The empaneled Advocate/Law firm shall not be eligible for payment of any kind of retainership from the Corporation

6. एम्पेनलमेंट करने हेतु कार्यविधि Procedure for empanelment:

सिद्ध ट्रेक रिकॉर्ड सहित सम्यक आधारभूत संरचना, सक्षमता एवं सामर्थ्य रखने वाले विधि फर्मों/ अधिवक्ताओं को एम्पेनलमेंट करने के लिए विचार किया जाएगा| पात्रता मानदंड, पूर्व अनुभव, प्रत्यय पत्र एवं उद्धृत शुल्क के आधार पर एम्पेनलमेंट किया जाएगा| तथापि, मात्र पात्रता मानदंड पूर्ण करने अथवा न्यूनतम शुल्क उद्धृत करने से ही किसी विधि फर्म/अधिवक्ताओं को एम्पेनलमेंट के योग्य नहीं माना जाएगा| ईओआई प्राप्त होने की संख्या के आधार पर यथावश्यक संख्या में जो भी विधि फर्म/अधिवक्ता उपयुक्त लगें, उन्हें एम्पेनल करने का अधिकार कॉर्पोरेशन के पास सुरक्षित है| विधि फर्म/अधिवक्ताओं को एम्पेनल करने की संख्या, विधि फर्म/अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता, शोर्टलिस्ट करना, प्रकरणों का आबंटन इत्यादि संबंधी समस्त मामलों में

कॉर्पोरेशन का निर्णय अंतिम होगा एवं संबंधित विधि फर्म/अधिवक्ताओं पर बाध्यकारी होगा| इस संबंध में कॉर्पोरेशन द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार अथवा वैयक्तिक पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा |

Law Firms/Advocates having adequate infrastructure, competence & capability with proven track record, will be considered for empanelment. The empanelment will be on the basis of eligibility criteria, past experience, credentials and the fees quote. However, merely satisfying the eligibility criteria or quoting the lowest fees will not entitle Firm/Advocates to be empaneled. Depending upon the number of EOI's received, Corporation reserves its right to empanel only the required number of Advocates/Firms as they deemed fit. Decision of Corporation in all the matters regarding number of Advocates/firms to be empaneled, their eligibility as per the documents produced by Advocates/Law Firms, short listing, allotment of cases, etc. will be final and binding on the Advocates/firms. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Corporation in this regard.

7. एम्पेनलमेंट की सूचना Communication of Empanelment:

संबंधित अधिवक्ता/विधि फर्म को एम्पनेल करने का निर्णय हो जाने के उपरांत, इस आशय की लिखित सूचना अधिवक्ताओं/विधि फर्मों को पावती एवं देय स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी| एम्पेनलमेंट करने की यह प्रक्रिया तब पूर्ण होगी जब संबंधित अधिवक्ताओं/विधि फर्म से **बिनाशर्त " स्वीकृतिपत्र "** लिखित में कॉर्पोरेशन को प्राप्त होगा| यह ईओआई एनपीसीआईएल, रावतभाटा राजस्थान साइट एवं संबंधित चयनित अधिवक्ता/विधि फर्म के मध्य संविदा के निबंधन एवं शर्तों के रूप में संविदा का एक भाग होगी|

After a decision to empanel the Advocates /Law firms is taken, a communication in writing to this effect shall be sent to the Advocates /Law Firms with acknowledgement and acceptance due. The process of empanelment shall be completed when the Corporation receives an **unconditional** "**acceptance letter**" from the Advocates /Law Firms in writing. This EOI will be the part of contract between NPCIL Rawatbhata, Rajasthan Site and the concerned selected Advocate / Law Firm as a terms and conditions of contract.

8. निर्योग्यताएं Disablements:

अधिवक्ता/विधि फर्मों की निर्योग्यता का आशय इस प्रकार समझा जाएगा एवं उनमें निम्नलिखित में से कोई भी सम्मिलित होगा :

Disablement on the part of the Advocate/Law Firms shall mean and include any of the following:

i) एम्पेनलमेंट के आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करना |
Furnishing false information in the application for empanelment;

ii) बिना पर्याप्त कारण एवं बिना पूर्व सूचना के सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ रहना;

Failing to attend the hearing of the case without sufficient reasons and prior information;

iii) कॉर्पोरेशन के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करना अथवा विशिष्ट निर्देशों के विरुद्ध जाना
Not acting as per Corporation instructions or going against specific instructions;

iv) मांगे जाने पर ब्रीफ वापस नहीं करना अथवा मांगे जाने पर उसके निरीक्षण की अनुमति नहीं देना अथवा उससे बचना|
Not returning the brief when demanded or not allowing or evading to allow its inspection on demand.

v) कॉर्पोरेशन से संबंधित मामलों/अपीलों में विरोधी पार्टियों की ओर से उपस्थित होना; एवं
Making appearances on behalf of any of the opposite parties in cases/appeals related to Corporation.

vi) वाद की कार्यवाही के संबंध में कॉर्पोरेशन को गलत एवं भ्रामक सूचना प्रदान करना
Giving false or misleading information to the Corporation relating to the proceedings of the case

vii) बिना किसी पर्याप्त कारण के बार-बार स्थगन लेना अथवा अन्य पार्टी द्वारा प्रस्तावित स्थगन पर आपत्ति नहीं करना|
Frequent adjournment being obtained or not objecting the adjournment moved by other party without sufficient reason.

viii) विधि फर्म / अधिवक्ता को किसी विशिष्ट न्यायालय / ट्रिब्यूनल / अर्धन्यायिक के लिए एम्पनेल नहीं किया जाएगा और वे सौंपे गए कार्य को स्वीकार करेंगे और उचित कारण के बिना किसी भी कार्य / असाइनमेंट को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेंगे|
The Law Firm / Advocate shall not be empaneled for any specific Court / Tribunal / qusi-judicial and shall accept the work assigned to them and shall not refuse to accept any work/ assignment without reasonable cause.

ix) समय-समय पर विधि फर्म / अधिवक्ता उन्हें सौंपे गए मामलों में एनपीसीआईएल के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँगे| यदि किसी भी अधिकारी को एनपीसीआईएल, आरआर साईट कि तरफ से अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक हो या किसी भी न्यायिक मामले में एनपीसीआईएल, आरआर साईट की और से अदालत में कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता हो, तो इस परिस्थिति में प्रासंगिक जानकारी एक सप्ताह पहले विधि अधिकारी के कार्यालय में सूचना देनी होंगी|
The Law Firm / Advocate will take all necessary steps to protect the intrerest of the NPCIL in matters entrusted to them from time to time. If any officer is required to appear before the court or any documentation

is required to be filed before the court on behalf of NPCIL, RR Site in the case, relevant information must reach the office of Law Officer by one week in advance.

x) यह एम्पेनल्मेंट किसी भी विधि फर्म / अधिवक्ता को अधिकार या दावा प्रदान नहीं करता कि एनपीसीआईएल द्वारा उन्हें ही कार्य सौंपा जाएगा|
The empanelment does not confer any right or claim that the Law Firm / Advocate for entrusting the work by NPCIL.

xi) विधि फर्म / अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सत्यापित / जाँच करने का अधिकार एनपीसीआईएल सुरक्षित रखता है|
NPCIL reservers the right to verify/ cross check the information furnished/ submitted by the Law Firm/ Advocate.

xii) एनपीसीआईएल इनमें से किसी भी कारणवश आवेदन को बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है| (i) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए जाना या (ii) पात्रता मापदंडों में से कोई भी पूरा न होना या (iii) अपेक्षित दस्तावेजों / सूचनाओं का न होना या (iv) किसी भी रूप में अपूर्णता|
NPCIL reservers the right to summarily reject the applications for any of the reasons (i) not submitted in the prescribed format or (ii) do not meet any of the eligibility criteria or (iii) not accompanied with requisite documents / information or (iv) incomplete in any respect, without assigning any reasons therefore.

xiii) एनपीसीआईएल, किसी भी समय, अपने विवेक से विधि फर्म / अधिवक्ता से कोई भी अदालत में लंबित मामले /अन्य कोई भी मामले / ब्रीफ आदि वापस ले सकता है|
The NPCIL may, at any time, at its discretion withdraw from the Law Firm/ Advocate any prceeding court matters / matters / brief, etc.

फर्म की ओर से उपर्युक्त निर्योग्यताओं में से किसी के भी कारण एम्पेनल्मेंट निरस्त किए जाने योग्य होगा|

Empanelment shall be liable to be cancelled due to occurring of any of the above disablements on the part of the firm.

9. गोपनीयता Confidentiality

एनपीसीआईएल से प्राप्त सूचना/तथ्यों को, एनपीसीआईएल की लिखित सहमति के बिना किसी को भी प्रकट नहीं किया जाएगा|

Information / facts obtained from NPCIL, will not be disclosed to any third party without the written consent of the NPCIL.

10. आवेदन कैसे करें How to Apply

इच्छुक अधिवक्ता/विधि फर्में निम्नलिखित पते पर ईओआई के साथ अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II में संलग्न प्रपत्र के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतिलिपियां तथा शुल्क विवरण सहित अपना विस्तृत जीवन-वृत्त भेज सकते हैं|

Interested Advocates/ Law Firms may send their detailed Bio –Data with self-attested photocopies of required documents and schedule of fees as per the format enclosed as ANNEXURE- I & ANNEXURE - II with this EOI.

सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर **"अधिवक्ताओं/विधिक फर्मो के एम्पेनल्मेंट हेतु आवेदन"** लिखा हो,

उप महाप्रबंधक (विधि)
एनपीसीआईएल – रावतभाटा राजस्थान साइट
डाक : अणुशक्ति, वाया कोटा
राजस्थान - 323303

के कार्यालय में केवल रजि./स्पीड पोस्ट द्वारा ईओआई के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर1700 बजे तक प्रस्तुत करें।
कोई भी कारण बताए बिना एक या सभी ईओआई को अस्वीकार करने के सभी अधिकार प्रमुख (मानव संसाधन) के पास सुरक्षित हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा|

Duly filled-in application form with supporting documents in sealed envelope superscribed with **"Application for Empanelment of Advocates/Law Firms"** must be submitted by only Regd. Post/Speed Post within 30 days from publication of EOI on any working day up to 1700 Hrs in the office of

Dy. General Manager (Legal)
NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site,
PO: Anushakti, Via-Kota
Rajasthan-323303

Head (HR), RR Site reserves all rights to reject one or all the EOI without assigning any reason thereof. No application shall be entertained, if received after the due date.

ईओआई के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज Documents to Accompany EOI

उक्त आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :
The application shall be an accompanied with the following documents:-

I. रुचि की अभिव्यक्ति Expression of interest.

II. नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं की टीम को समान प्रकार के कार्य के अनुभव के प्रयोजन से उनके शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव सहित व्यक्तिगत/ विधि फर्म का विवरण | (अनुलग्नक-I में)
Details of individual/Law firm with Educational qualification and experience of the team of advocate to be deputed for the purpose of experience in similar type of the work. (In ANNEXURE-I)

III. उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय, जिला न्यायालय/सीजीआईटी/कर बोर्ड/ कर न्यायालय में ड्राफ्टिंग/ प्रभावी सुनवाई हेतु वांछित राशि का विवरण| (अनुलग्नक-II में)
Details of amount sought for drafting/effective hearing at High Court/Tribunal/Labour
Court, District Count/CGCIT/Tax board/ Tax tribunal whichever is applicable. (In ANNEXURE-II)

IV. कार्यक्षेत्र में वांछित कोई अन्य सूचना Any other information sought in the Scope of work.

11. कठिनाई को दूर करना Removal of difficulty:

इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के मामले में, इन दिशानिर्देशों के किसी खंड की व्याख्या के संबंध में यदि कोई संदेह अथवा कठिनाई उत्पन्न होते है तो, उसे एनपीसीआईएल में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं उसमें कॉर्पोरेशन का निर्णय अंतिम होगा| तथापि किसी विवाद की स्थिति में एनपीसीआईएल कार्यविधि के अनुसार मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम -1996 के प्रावधान लागू होंगे|

In the matter of implementation of these guidelines, if any doubt or difficulty arises regarding the interpretation of any of the clause of these guidelines, the same shall be placed before the Competent Authority at NPCIL and the decision of the Corporation thereon shall be final. Further In case of dispute the provisions of Arbitration & Conciliation Act -1996 as per NPCIL procedure will be applicable.

नोट : यहाँ उपर्युक्त में कुछ भी कथन होने के बावजूद, एनपीसीआईएल आर आर साइट को पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाले अधिवक्ता/विधि फर्म को एम्पेनल नहीं करने अथवा एम्पेनलमेंट प्रक्रिया स्थगित करने अथवा निरस्त करने अथवा किसी अधिवक्ता के एम्पेनलमेंट को इस संबंध में बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त करने के सर्वाधिकार सुरक्षित है|

NOTE :- Notwithstanding anything stated herein above , the NPCIL RR Site reserves its all rights not to empanel any advocate /Law firm even on fulfilling the eligibility criteria or postpone or cancel the process of empanelment or to terminate the empanelment of any advocate at any time without assigning any reasons in this regards

******.

ANNEXURE- I

ईओआई नं. एनपीसीआईएल/आर आर साइट/विधिक/ईओआई-01/2019/01
EOI NO: NPCIL/RR Site/ Legal/ EOI-01/ 2019/01

अधिवक्ता/विधि फर्म द्वारा प्रस्तुत जीवनवृत्त का प्रारूप
FORMAT FOR SUBMISSION OF BIO DATA BY ADVOCATE/LAW FIRM

1	अधिवक्ता का नाम/विधि फर्म का पता Name of the Advocate/ Law Firm address		
2	जन्म तिथि/ विधि फर्म का पंजीकरण की तिथि Date of Birth/ Registration of Law firm		
3	शैक्षिक योग्यताएं(प्रति संलग्न करें) Educational Qualifications. (Enclose Copy)		
4	बार काऊंसिल का नाम एवं पंजीकरण की तिथि(प्रति संलग्न करें) Date of Enrolment and name of the Bar Council (Enclose Copy)		
5	राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न करें) Date of enrolment as an Advocate of the High Court of Rajasthan and Registration Number. (Enclose Copy)		
6	प्रेक्टिस की अवधि Period of Practice		
7	**वर्षों का अनुभव Years of Experience**	**वर्ष Year**	**मास Month**
	उच्च न्यायालय High Court		
	जिला/ सब न्यायालय District / Sub Court		

	श्रम न्यायालय Labour Court		
	सीजीआईटी CGIT		
	उक्त के अलावा अन्य कोई, यदि है Any other exept above, if any		
8	अनुभव/प्रेक्टिस का विवरण Details of Experience/Practice		
9	प्रेक्टिस का क्षेत्र Area of practice		
10	विशेषज्ञता, यदि कोई हो तो Specialization, if any		
11	क्या सरकारी कौन्सेल/प्लीडर हैं (अवधि इंगित करें) Whether a central Government Counsel/Pleader (Indicate period)		
12	मुअक्किलों(केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्व.क्षेत्र के उपक्रम/आयोग/स्वायत्तशासी निकाय) की संक्षिप्त सूची (नियुक्ति पत्रों की प्रति संलग्न करें) Brief list of clients (Central Government/ State Government / PSU/ commission/ Autonomous Bodies) (Enclose appointment letters)		
13	**विधि फर्म/ अधिवक्ता विवरण Law Firm / Advocate Details** 1. पैन नंबर (फोटोकॉपी संलग्न करें) PAN No. (Attach Photocopy)	_____	

	2. जीएसटी नंबर (फोटोकॉपी संलग्न करें) GST No. (Attach Photocopy) 3. आधार नंबर (फोटोकॉपी संलग्न करें) AADHAR No. (Attach Photocopy) 4. वैध ई-मेल आईडी Valid E-mail ID's 5. संपर्क नंबर Contact Number	_____ _____ _____ _____ _____
14	वह न्यायालय जिसमें अधिवक्ता नियमित तौर पर प्रेक्टिस कर रहे हैं | Courts where the Advocate is regularly Practicing	
15	**ईओआई EOI :– कृपया अपनी विशेषज्ञता/ प्रेक्टिस के क्षेत्र को चिह्नित करें एवं रूचि की अभिव्यक्ति| (✓ or X)** **Please tick your area of expertise/ practices and expression of intrest.**	
	जोधपुर Jodhpur – उच्च न्यायालय High Court	
	जयपुर Jaipur – उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सीजीआईटी High Court, CAT, CGIT	
	उदयपुर Udaipur – वाणिज्यिक न्यायालय Commercial Court	
	चित्तौड़गढ़ Chittorgarh – सिविल, उपभोक्ता, श्रम न्यायालय, एम ए सी टी, माध्यस्थता अधिनयम, भू राजस्व, इत्यादि. Civil, Consumer, Labour, MACT, Arbitration, Land Revenue, Etc.	
	बेंगू Begun - – सिविल, श्रम न्यायालय , एम ए सी टी, भू राजस्व, इत्यादि. Civil, Labour, MACT, Land Revenue, Etc.	
	रावतभाटा Rawatbhata – सिविल, श्रम न्यायालय, एम ए सी टी, माध्यस्थता, भू राजस्व, इत्यादि. Civil, Labour, MACT, Arbitration, Land Revenue, Etc.	

	कोटा Kota – श्रम- सीजीआईटी, सिविल, इत्यादि Labour-cum-CGIT, Civil, Etc.	
16	अन्य कोई सूचना Any other information	
17	पिछले दो वर्षों में रिपोर्ट किए गए निर्णयों का विवरण यदि कोई है तो Details of reported judgment if any in the last two years	

<u>घोषणा DECLARATION</u>

मै / हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा एनपीसीआईएल आरआर साइट को एम्पनेल्मेंट के लिए ऊपर दी गई सभी जानकारी तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है।
I / We declare that the information so provided by us for empanelment by the NPCIL, RR Site are factually correct.

दिनांक Date: -
स्थान Place: -

लॉ फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर मय मुहर
Signature of the authorized representative
of the Law Firm with stamp

ANNEXURE- II

रूचि की अभिव्यक्ति नं. एनपीसीआईएल/आर आर साइट/विधि/ईओआई – 01/2019/01
EOI NO: NPCIL/RR Site/ Legal/ EOI-01/ 2019/01

फ़ीस की अनुसूची SCHEDULE OF FEES

निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए कृपया अपनी दरें उद्धृत करने का कष्ट करें
Kindly quote your rates in respect of the following services to be provided:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण PARTICULARS	रूपए Rs.	
		उच्च न्यायालय High Court	केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण, सीजीआईटी, कर प्राधिकरण, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय इत्यादि CAT, CGIT, Tax Tribunals, District Courts & subordinate Courts, etc.
1.	मसौदा लेखन, अभिवचन हेतु यथा For Drafting, Pleading i.e.: a. याचिका Petition. b. उत्तर, प्रत्युत्तर, आवेदन, आपत्ति सूचना, नोटिस, दस्तावेज इत्यादि Reply, Rejoinder, Application, Caveat, Notice, Documents, etc.		
2.	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/न्याय प्राधिकरण इत्यादि की सुनवाई में उपस्थित होना अथवा इनके समक्ष प्रस्तुत होना जिसमें वाद अथवा अंतर्वर्ती आवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि सम्मिलित हैं| For appearance/attending the hearing including admission of cases or any interlocutory application, etc. before Rajasthan High Court, Jaipur / Jodhpur /Tribunals/ etc.: (i) प्रभावी सुनवाई शुल्क Effective hearing charges : a) प्रथम सुनवाई First hearing b) तदन्तर सुनवाई Subsequent hearings		

	(ii) प्रभावेत्तर सुनवाई हेतु For non-effective hearing (iii) विधिक परामर्श प्रदान करने हेतु For rendering legal opinions (iv) दस्तावेजों आदि का सत्यापन Attestation of documents etc. (v) माध्यस्थता कार्यवाहियां (vi) Arbitration Proceedings.		
3.	न्यायालयीन मामलों के आलावा अन्य मामलों में विधिक राय Legal opinion in matters otherthan court matters		
4.	सम्मेलन, बैठक एवं गोष्ठियों में उपस्थिति हेतु For attending conferences, meetings and discussions: a) वरिष्ठ कौन्सेल Senior Counsels b) कौन्सेल Counsels		
5.	बाहरी प्रकरण (जयपुर/जोधपुर से बाहर किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण/माध्यस्थता/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण में प्रकरण) Out Station Cases (Cases at any Court / Tribunal/Arbitration/Quasi-Judicial Authority outside the Jaipur/ Jodhpur).		
6.	मुन्शियाना शुल्क Clerkage		
7.	जेब खर्च जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं Out of pocket expenses including: A. आवश्यक्तानुसार विचार-विमर्श हेतु अथवा माननीय उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण में उपस्थित होने के लिए नियुक्त वरिष्ठ कौन्सेल एजी/एसजी/एएसजी को बिल/मेमो प्रस्तुत करने पर कॉर्पोरेशन द्वारा शुल्क का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा।		

	Payment of fees to Senior counsel AG/SG/ASG is engaged for conference or his appearance before the Hon'ble High Court/Tribunal, as per the requirement, shall be made by the Corporation on actual basis on production of bill/memo. B. टाइपिंग, स्टाम्प, जेरोक्सिंग एवं अन्य विविध व्यय Typing, stamps, Xeroxing and other misc. expenses. C. बिल/मेमो प्रस्तुत करने पर आऊटस्टेशन प्रभार, यात्रा व्यय एवं अन्य आनुषांगिक व्यय Out station charges, travelling expenses and other incidental charges on production of bill/memo. D. कोर्ट/न्यायाधिकरण के समक्ष वाद, वादपत्र, आवेदन फाइल करने के लिए कोर्ट शुल्क, कोर्ट से प्रमाणित प्रति, नोटेरी प्रभार यदि कोई हो, इत्यादि Court fee for filing suit, plaint, application before the court/tribunal, certified copy from the court, Notary charges if any, etc.	
8.	कर एवं अन्य संविधिक शुल्क, यदि कोई हो तो Taxes and other statutory charges, if any.	

दिनांक Date: -
स्थान Place: -

फर्म/ अधिवक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षर मय मुहर
Authorized Signatory of Firm / Advocate With seal